वाद सं० 3/2021 183 RTA

२०० नाता v/s शान्तिलाल वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
25/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रतिवादी क्र. 1 के जवाब प्रतिवादी क्र. 2 की विधिवत तामील नहीं पत्रावली जवाब एवं प्रतिवादी क्र. 2 की रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने पेश करने पर आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 18/11/24 को पेश हो [initials]	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० पत्रावली यथावत आदेश में दिनांक 3/12/24 को पेश हो [initials]	
3/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० पत्रावली जवाब / तलबी हेतु दिनांक 9/1/25 को पेश हो [initials]	
9/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रकरण जवाब / तलबी हेतु दिनांक 11/2/25 को पेश हो [initials]	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधि. अनु०। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को न्यायहित में पुनः एक बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी गण उक्त बाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। [initials]	

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. श्री नाना लाल पिता रामा चमार, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री देवीलाल पिता रामा चमार, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सोहनी पुत्री रामा चमार, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।
4. कंकू पुत्री रामा चमार, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादीगण

बनाम

1. श्री शांतिलाल पिता नारायण बलाई, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री हजारी पिता कुशाल बैरवा, निवासी जागदरी, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 03/2024 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री किशनलाल कुमावत, उपस्थित नहीं – इस वाद में आज तारीख 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को न्यायहित में पुनः एक बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

11/2/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा